निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 68 / 2021
दायरा दिनांकः—29.09.2021
निर्णय दिनांकः— 15-7-25

उनवान

1. ग्यारसा आयु 70 वर्ष आत्मज गंगोलिया जाति चमार निवासी बडौदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0) (फोत)

1 / 1 भरोसी बाई पुत्री ग्यारसा जाति चमार

1 / 2 भूरीबाई पुत्री ग्यारसा जाति चमार निवासीगण बडौदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कन्हैयालाल आयु 65 वर्ष आत्मज किशना जाति चमार
2. हीरालाल आयु 60 वर्ष आत्मज किशना जाति चमार निवासी बडौदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. कजोड आत्मज नामालूम जाति चमार सा0 हाल बडौदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां
5. उपं पंजीयन अधिकारी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 15-7-25

अभिभाषक उपस्थितः— 1. श्री राकेश कुमार सोनी — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बडैदिया तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 53 / 229 रकबा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 170 की भूमि 02 बिस्वा खसरा नम्बर 201 की भूमि 01 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 202 की भूमि 06 बीघा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 202 / 226 की भूमि 02 बिस्वा खसरा नम्बर 203 की भूमि 03 बीघा 15 बिस्वा कुल 6 किता आराजी 12 बीघा 0 बिस्वा अवस्थित है जो पूर्व में किशना आत्मज गोमदा तथा प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा एवं जगन्नाथ के खातेदारी अर्थात् भू— राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही थी। नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 29.11.1978 को खोला गया चुंकि जगन्नाथ पुत्र फूल्या अविवाहित था जिसके कोई वारिसान नही होने से

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जगन्नाथ का नाम खाते से खाारिज किया गया उक्त भूमियात किशना पुत्र गोमदा व ग्यारस्या पुत्र गंगोलिया के हिस्सा बराबर अर्थात् 1/2 – 1/2 में दर्ज हुई किशना का स्वर्गवास होने से उसके वारिसान प्रतिवादी/अप्रार्थी क्रम 1 व 2 है तथा ग्यारस्या का स्वर्गवास दिनांक 03.02.2020 को हो गया है जिसके प्रार्थीगण वारिसान है जो खातेदार कृषक है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने मृतक जगन्नाथ के हिस्से की भूमियात को हडपने के उदेद्श्य से अप्रार्थी क्रम 3 को मृतक जगन्नाथ का पुत्र दर्शाकर इन्तकाल संख्या 66 की अपील न्यायालय एस.डी.एम छबडा के समक्ष पेश करवा दी प्रार्थीगण के पिता की अदम मौजूदगी में उसका निस्तारण दिनांक 04.04.2011 को करा लिया जिसके अनुसार अपील इन्तकाल स्वीकार कर प्रकरण अप्रार्थी क्रम 4 तहसीलदार छबडा को रिमाण्ड कर दिया गया अप्रार्थी संख्या 03 न्यायालय एस.डी.एम छबडा द्वारा प्रकरण को अप्रार्थी क्रम 4 तहसीलदार छबडा के यह रिमाण्ड कर दिये जाने का नाजायज लाभ उठातें हुऐ अप्रार्थी क्रम 4 तहसीलदार छबडा से सम्बन्धित रेवेन्यू अधिकारियों से सांठ गांठ कर चुपचाप मृतक जगन्नाथ के हिस्से की भूमियों को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाकर भूमियां अन्यत्र रहन बैचान तथा हस्तान्तरण करने को आमादा है जिसका की उसको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है क्योकि अप्रार्थी क्रम 3 मृतक जगन्नाथ का पुत्र नही है। जगन्नाथ ला औलाद ही अविवाहित फोत हुआ है अप्रार्थी क्रम संख्या 3 का मृतक जगन्नाथ के हिस्से की भूमियों पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा और ना हि मौजूदा समय मे है बल्की प्रार्थीगण ही जगन्नाथ के हिस्से की भूमियात पर गत 45 वर्षो से नियमित रूप से आज तक बहैसियत मालिक एवं खातेदार काबिज है और काश्त करता हुआ चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 3 राजनैतिक रसुकदार व चाल–बाज व्यक्ति है जिसने दिनांक 18.06.2016 को प्रार्थीगण की गैर मौजूदगी में अपने हक में निर्णय पारित करवा लिया और डिक्री की नकल दस्ती ले जा कर हल्का पटवारी से उक्त आदेश की पालना में दिनांक 20.07.2016 को इन्तकाल संख्या 392 खुलवाकर अपना नाम बहैसियत कजोड पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 में दर्ज करा लिया जिसका अमल जमाबन्दी में भी कर दिया गया प्रार्थीगण के पिता जैसे ही उक्त आदेश की जानकारी हुई तो RAA कोटा में दिनांक 28.09.2016 को अपील प्रस्तुत की गई जिसका आदेश दिनांक 16.11.2017 को किया गया जिसमें प्रकरण संख्या 194/2011 का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2016 को अपास्त कर दिया गया ओर प्रकरण इस दिशा–निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि तनकीयात कायम कर उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्वत् रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें। इसी दौरान एक दावा ओर अप्रार्थी क्रम 3 कजोड ने धारा 53,89,188 आर0टी0एक्ट का दिनांक 08.05.2018 को पेश किया गया जिसमें प्रतिवादीगण को तलब किये बिना ही दिनांक 18.05.2018 को प्रतिवादीगण को सुने बिना ही पुनः उन्ही अधिकारी से निर्णय पारित करवा लिया गया जब प्रार्थी ग्यारस्या की पुत्रिया प्रकरण की जानकारी लेने आई तथा पता चला इस पर दोनो पत्रावलीयों को शामिल किया गया है उक्त समस्त कार्यवाहीया अप्रार्थी क्रम 3 के कहे अनुसार होती रही है जो खिलाफ कानून व न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने से शून्य है जबकि RAA कोटा के आदेशानुसार पत्रावली न्यायालय में जैरकार है। अप्रार्थी क्रम 3 का नाम जमाबन्दी में 1/3 हिस्से में दर्ज हो जाने के कारण एवं प्रकरण संख्या 194/2011 का प्रकरण जैरकार होने व निर्णय होना शेष हे पूर्व आदेश दिनांक 18.06.2016 को अपास्त किया जा चुका है उसके आधार पर किया गया अमल स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 3 उसका नाम दर्ज होने से भूमियात को रहन बैचान व हस्तान्तरण करने व जबरन कब्जा करने पर आमादा है। प्राईमा फैसाई केस व सुविधा का सन्तुलन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीगण के पक्ष में पिद्यमान है। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 10.09.2021 को पैदा हुआ जब अप्रार्थी क्रम 3 ने 1/3 हिस्से पर जबरन कब्जा करने व बैचान करने की धमकी दी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 6 नकल नामान्तरण संख्या 392 ग्राम बडौदिया नकल नामान्तरण संख्या 66 ग्राम बडौदिया नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया फोटो प्रति निर्णय भू. प्रबन्ध आधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा दिनांक 16.11.2017 पेश की गई।

अप्रार्थी क्रम 3 की ओर से जवाब पेश किया कि मुताबिक प्रस्तुत्त वाद मे प्रस्तुत रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2015 तक मे खाता स. 3 पर खातेदार किशना वल्द गणेश, ग्यारस्या वल्द गंगोलिया जगन्नाथ वल्द फुल्या कोम चमार साकिन देह हिस्सा बराबर अंकित हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि वादी गंगोलिया के वारिसान व वंशज हैं जिनका विवादीत भूमि मे हिस्सा 1/3 नियत है। इसलिए प्रथम दृष्टा वाद प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। प्रस्तुत वाद के पेरा न. 2 मे मृतक जगन्नाथ कजोड प्रति. न. 3 के पिता की मृत्यु होना अंकित हैं। इसके बाद वादी ग्यारस्या द्वारा रेवेन्यू अधिकारी को गुमरहा करते हुऐ मृतक जगन्नाथ को आओद बताते हुऐ उसकी भूमि का नामान्तरण न. 66 अपने नाम दर्ज करा लिया। जिससे उक्त जमाबन्दी मे हिस्सा 1/2 पर मृतक वादी का नाम दर्ज हो गया। इसलिऐ वादी ने यह वाद प्रसतुत किया। जिसके आधार पर वादीया हिस्सा 1/2 की मांग कर रहे है। इसलिए प्रथम दृष्टा वाद प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। वादी द्वारा कपट पूर्वक राजस्व कर्मचारीयो को गलत सूचना देकर गलत नामान्तरण न.66 खुला लिया जिसके आधार पर मृतक जगन्नाथ के पुत्र कजोड प्रति. न. 3 के हिस्से 1/3 को अवैध रूप से प्राप्त करना चाहते है। इसलिए प्रथम दृष्टा वाद प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। माननीय अपील न्यायायल RAA कोटा के निर्णय दिनांक 16.11.2017 के अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभय पक्षीय की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करे। जिसकी पालना करना माननीय न्यायालय का दायित्व हैं वादी द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय की अपील न्यायालय RAA कोटा में दिनांक 28.9.2016 को प्रस्तुत की जो जिसका निर्णय दिनांक 16.11. 2017 को हो चुका है। जबकि उक्त नामान्तरण न. 392 दिनांक 20.7.2016 अपील प्रस्तुत होने से पूर्व का हैं तथा अपील न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरण के इस तथ्य को जानबूझकर प्रस्तुत नही किया गया। ओर ना ही अपील न्यायालय द्वारा नामान्तरण न. 392 दिनांक 20.7.2016 के सन्दर्भ में कोई आदेश पारित किया गया। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया चलने योग्य नही होने से काबिल खारिजी है। बादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विवादीत आराजीयात के नामान्तरण न. 392 दिनांक 20.7.2016 बाबत माननीय न्यायालय I.क.ड. सा. बारां के निर्णय दिनांक 29.7.2022 में उक्त नामान्तरण न. 392 जो माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 की पालना में खोला गया जिसे सही खोलना पाया गया। अपील माननीय न्यायालय A.D.M. सा. बारां ने भी विधि विरूध नही माना। तथा अपने आदेश में यह भी अंकित किया गया कि उक्त वाद माननीय न्यायालय मे विचाराधीन होने से जिसमे निर्णय पारित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ाने पर निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी। तथा नामा. न. 392 की अपील माननीय न्यायालय A.D.M. सा0 बारां द्वारा खारिज की गयी। इसके पश्चात् वादीया अवैध रूप से माननीय न्यायालय को गुमरहा कर इस सन्दर्भ मे विपरित आदेश माननीय न्यायालय से कराना चाहती हैं। इसलिऐ प्रार्थना पत्र प्रार्थीया चलने योग्य नही होने से काबिल खारिजी है। वर्तमान में कजोड प्रति. न. 3 के हिस्से 1/3 का सहखातेदार होने से विधिवत उसके विरूध कानूनन निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिऐ प्रार्थना पत्र प्रार्थीया चलने योग्य नही होने से काबिल खारिजी है। प्रस्तुत वाद मे प्रस्तुत रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2015 तक मे खाता स. 3 पर खातेदार किशना वल्द गणेश, ग्यारस्या वल्द गंगोलिया जगन्नाथ वल्द फुल्या कोम चमार साकिन देह हिस्सा बराबर अंकित हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी गंगोलिया के वारिसान व वंशज हैं जिनका विवादीत भूमि मे हिस्सा 1/3 नियत है। तथा प्रतिवादी कजोड का भी हिस्सा 1/3 होने से एवं नामान्तरण न. 392 जो माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6. 2016 की पालना में खोला गया जिसे माननीय न्यायालय A.D.M. सा. बारां द्वारा सही खोलना पाया गया। इसलिए सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष मे विद्यमान हैं। विवादीत आराजीयात वादीया का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी एवं मृतक जगन्नाथ के खातेदारी मे होने एवं अप्रार्थी क्रम 3 कजोड मृतक खातेदार जगन्नाथ का पुत्र वारिस होने से उक्त आराजी मे विधिवत हिस्सा 1/3 हैं। जिसके अनुसार ही उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ। जिस पर वादीया व अन्य खातेदार का कोई कानूनी अधिकार नही होने से वादीया को कोई अपरिमित क्षति नहीं हैं वरन् विपरित आदेश पारित होने पर प्रतिवादी कजोड को अपरिमित क्षति होगी नही होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव है। वाद वादी अनुसार वादी द्वारा केवल मात्र का विवादीत भूमि मे वादी ग्यारस्या के हिस्से को किसी भी प्रकार से चौलेन्ज नही किया गया। केवल मात्र अप्रार्थी क्रम 3 कजोड के पिता मृतक खातेदार जगन्नाथ के हिस्से व हक की घोषणा चाही गयी। वादी जगन्नाथ के वारिसान नही हैं इसलिऐ अप्रार्थी क्रम 3 कजोड को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडौदिया तहसील छबडा में स्थित है। जो पूर्व में किशना पुत्र गोमदा तथा प्रार्थीगण के पिता ग्यारस्या एवं जगन्नाथ के खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। जगन्नाथ पुत्र फूल्या अविवाहित था जिसका कोई वारिस नही था जगन्नाथ की मृत्यु के बाद नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 29.11.1978 खोला गया था तथा जगन्नाथ का नाम खाते से खारिज कर किशना पुत्र गोमदा व ग्यारस्या पुत्र गंगोलिया के 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज हुई। किशना का स्वर्गवास होने से उसके वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 व 2 है तथा ग्यारस्या का स्वर्गवास हो गया है जिसके वारिस प्रार्थीगण है मृतक जगन्नाथ की भूमि को हडपने के उद्देश्य से अप्रार्थी क्रम 3 मृतक जगन्नाथ का पुत्र बता कर इन्तकाल संख्या 66 की अपील पेश कर स्वीकार करा ली तथा तहसीलदार छबडा को रिमाण्ड कर दिया तथा अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली अप्रार्थी क्रम उक्त भूमि को रहन बेचान पर आमादा है अप्रार्थी क्रम 3 का कभी कब्जा काश्त नही रहा। प्रार्थीगण का लगभग 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी द्वारा न्याय अपने द्वारा ग्राम झरखेडी में प्रार्थीगण की अनुउपस्थिति में निर्णय अपने पक्ष में करा लिया जबकि न्याय आपके द्वार केम्प में पक्षकारान की सहमति से निर्णय किया जाता है उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः तनकीवार निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। मूलवाद का निर्णय होना शेष हे पूर्व आदेश दिनांक 18.06.2016 को अपास्त किया जा चूका हे उसके आधार पर किया गया अमल स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 3 भूमि को रहन बैचान करने पर आमादा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें की वह रहन बैचान व कब्जा नही करें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश कि गई। लिखित बहस में बताया कि प्रस्तुत वाद वास्तविकता विवादीत भूमि वादी व प्रतिवादी की पैत्रक कृषि भूमि हैं जिसमे मृतक वादी ग्यारस्या व उसके वरिसान सन्तान सगी तीन पुत्रीयां हुई जो 1. भरोसीबाई, 2. भूरीबाई व 3. मृतका भूलीबाई हैं। जिनका का हिस्सा 1/3 है। मे मृतक वादी ग्यारस्या द्वारा अपने हिस्से के अलावा प्रतिवादी के हिस्से की घोषणा चाही थी। जो गलत था। वादी को उक्त तथ्य की पूर्ण जानकारी होते हुऐ भी 1/2 का अनुतोष चाह गया। वादी को अपने हिस्से 1/3 से अधिक का कानूनी अधिकारी नही है। के नाती (नवासा) है। मृतक वादी ग्यारस्या के सन्तान सगी तीन पुत्रीयां हुई जो 1. भरोसीबाई, 2. भूरीबाई व 3. मृतका भूलीबाई हैं। प्रार्थीगण मृतका भूलीबाई के सगे पुत्र एवं उसके वैधवारिसान एवं कायममुकामान हैं। इनके अलावा अन्या कोई वारिस भूलीबाई का नही है। भरोसीबाई, व भूरीबाई द्वारा माननीय न्यायालय मे जो प्रार्थनापत्र कायममुकामान का प्रस्तुत किया उसमे जानबूझकर छल, कपटपूर्वक अपनी सगी बहन स्व भूलीबाई के वारिसान उसके पुत्र अशोककुमार मनीश का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया। जबकि उक्त तथ्य की पूर्ण जानकारी उक्त भरोसीबाई, व भूरीबाई को होते हुऐ भी सत्य को न्यायालय से छुपाया गया। इसलिए प्रार्थीगण उक्त वाद मे आवश्यक पक्षकार होने से उसे इस वाद मे मृतक वादी ग्यारस्या के वारिस व कायममुकामान पक्षकार प्रतिवादी बनाया जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायोचित है। वादी द्वारा कपट पूर्वक राजस्व कर्मचारीयो को गलत सूचना देकर गलत नामान्तरण न.66 खुला लिया जिसके आधार पर मृतक जगन्नाथ के पुत्र कजोड प्रति. न. 3 के हिस्से 1/3 को अवैध रूप से प्राप्त करना चाहते है। इसलिए प्रथम दृष्टा वाद प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। माननीय अपील न्यायायल RAA कोटा के निर्णय दिनांक 16.11.2017 के अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभय पक्षीय की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करे। जिसकी पालना करना माननीय न्यायालय का दायित्व है वादी द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय की अपील न्यायालय RAA कोटा में दिनांक 28.9.2016 को प्रस्तुत की जो जिसका निर्णय दिनांक 16.11. 2017 को हो चुका है। जबकि उक्त नामान्तरण न. 392 दिनांक 20.7.2016 अपील प्रस्तुत होने से पूर्व का हैं तथा अपील न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरण के इस तथ्य को जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया। ओर ना ही अपील न्यायालय द्वारा नामान्तरण न. 392 दिनांक 20.7.2016 के सन्दर्भ में कोई आदेश पारित किया गया। इसलिऐ प्रार्थना पत्र प्रार्थीया चलने योग्य नही होने से काबिल खारिजी है। वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विवादीत आराजीयात के नामान्तरण न. 392 दिनांक 20.7.2016 बाबत माननीय न्यायालय A.D.M. सा. बारां के निर्णय दिनांक 29.7.2022 मे उक्त नामान्तरण न. 392 जो माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 की पालना में खोला गया जिसे सही खोलना पाया गया। अपील माननीय न्यायालय A.D.M. सा. बारां ने भी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विधि विरूध नही माना। तथा अपने आदेश में यह भी अंकित किया गया कि उक्त वाद माननीय न्यायालय मे विचाराधीन होने से जिसमे निर्णय पारित होने पर निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी। तथा नामा. न. 392 की अपील माननीय न्यायालय A.D.M. सा. बारां द्वारा खारिज की गयी। इसके पश्चात् वादीया अवैध रूप से माननीय न्यायालय को गुमरहा कर इस सन्दर्भ मे विपरित आदेश माननीय न्यायालय से कराना चाहती हैं। इसलिऐ प्रार्थना पत्र प्रार्थीया चलने योग्य नही होने से काबिल खारिजी है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया खाता संख्या 6 के अनुसार कन्हैयालाल हीरालाल पुत्र किशना हिस्सा 1/3 ग्यारस्या पुत्र गंगोलिया हिस्सा 1/3 कजोड पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 जाति चमार सा0देह दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 392 दिनांक 20.07.2016 के अनुसार कन्हैयालाल हीरालाल पुत्र किशना 1/2 ग्यारस्या पुत्र गंगोलिया हिस्सा 1/2 दर्ज है नामान्तरण संख्या 392 के कॉलम संख्या 14 में जर्ये डिक्री आदेश के निर्णय दिनांक 18.06.2016 मि0 नम्बर 194/11 की पालना में नामान्तरण दिनांक 20.07.2016 को स्वीकार केम्प छबडा में खोला जाकर तस्दीक किया गया। इस डिक्री आदेश को माननीय न्यायालय RAA कोटा ने कर पुनः निर्णय हेतु रिमांड किया है जो अभी जैरकार न्यायालय है। चूंकि प्रकरण में वादी/प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को निर्धारण मूल वाद में किया जाएगा। दौरान वाद वाद बहुलता को रोकने एवं मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडौदिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 53/229 रकबा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 170 रकबा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 201 रकबा 1.10 बीघा खसरा नम्बर 202 रकबा 6.08 बीघा खसरा नम्बर 202/226 रकबा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 203 रकबा 3.15 बीघा कुल किता 6 रकबा 12.03 बीघा पर अप्रार्थीगण मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)